

INDIA

States and Union Territories



Citizenship
नागरिकता ⇒ Indian citizenship

(नागरिकता (Citizenship))

भारतीय संविधान का भाग-2, अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता के बारे में है। भारत में ब्रिटेन के समान एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता है।

Part-2 of the Indian Constitution, Articles 5 to 11 are about citizenship. India has provision for single citizenship like Britain. America has dual citizenship.

भाग (Part)-II, एकल नागरिकता ⇒ ब्रिटेन से ली है।
Art. 5-11 Single citizenship Taken from Britain.

दोहरी नागरिकता

Dual citizenship

⇒ अमेरिका (USA) → 50 States/राज्य



USA → Citizenship (नागरिकता)

States ⇒ राज्यों ⇒ नागरिकता

⇒ भारतीय नागरिकता (Indian citizenship)

↳ गृह मंत्रालय द्वारा प्रदान की जाती है।

↓
Home ministry

(Indian citizenship provide by the Home Ministry)

Art. 11 ⇒ संसद (Parliament) को यह शक्ति दी गयी है कि वह नागरिकता से सम्बंधित (Related to citizenship) कानून (Law) बना सकती है।

→ संसद द्वारा अनु०-11 के अधीन भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 लागू किया गया।

Under Art. 11 → Indian citizenship Act 1955 Passed by the Parliament.

5 प्रकार (5 ways) - (1) जन्म द्वारा (By Birth) (2) वंशपरंपरा द्वारा (By Descent)
(3) पंजीकरण द्वारा (By Registration) (4) देशीयकरण द्वारा (By Naturalisation)
(5) भूमि अर्जन द्वारा (By Acquisition of Land)

Indian citizenship Act 1955
भारतीय नागरिकता अधि० 1955

⇒ संशोधन (Amendment)

↓

1986, 1992, 2003, 2005, 2015, 2019

अनुच्छेद-11 के अन्तर्गत संसद को नागरिकता के सम्बन्ध में विधि बनाने की शक्ति दी गयी है। जिसके तहत संसद द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया है। इस अधिनियम में वर्ष 1986, 1992, 2003, 2005, 2015 और 2019 में संशोधन किया गया।

Under Article 11, the Parliament has been given the power to make laws regarding citizenship. Under which the Indian Citizenship Act 1955 has been passed by the Parliament. This Act was amended in the years 1986, 1992, 2003, 2005, 2015 and 2019.

इस अधिनियम के अनुसार भारतीय नागरिकता निम्नलिखित 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है।

According to this Act, Indian citizenship can be obtained in the following 5 ways.

1. जन्म से (By Birth)

कोई व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके पश्चात भारत में हुआ हो, भारत का नागरिक होगा।

Any person born in India on or after 26 January 1950 will be a citizen of India.

- वर्तमान (Present)
- 1 जन्म स्थान - भारत
 - 2 जन्म के समय माता-पिता (Parents) में से कोई एक भारत का नागरिक हो। (1986)

ex. मोहन
↓
Birth of
Place - India

1955 Act ⇒ 26 Jan. 1950

अगर किसी व्यक्ति (Person) का जन्मस्थान (Place of Birth) भारत (India)

जन्मस्थान (भारत) 26 Jan. 1950 से पहले या बाद


नागरिकता संशोधन अधिनियम, 1986' पारित किया गया। जिसके अनुसार-
जन्म से नागरिकता के लिए व्यक्ति के जन्म के समय उसके माता या पिता में
से किसी एक का भारत का नागरिक होना अब आवश्यक है।

**Citizenship Amendment Act, 1986 was passed. According to
which, for citizenship by birth, it is now necessary that at the
time of birth of the person, either of his parents was a citizen
of India.**

2. वंशपरम्परा से (By Descent)

भारत के बाहर किसी अन्य देश में 26 जनवरी 1950 ई. को या उसके बाद जन्म लेने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक हो सकता है,

A person born on or after 26 January 1950 in any country outside India can be a citizen of India,



वर्तमान में ⇒ 1955 Act → संशोधन (Amendment) ⇒ 1992

2019 Present

पिता शब्द को जगह, माता-पिता

↓ (भारतीय नागरिक)
Parents

⇒ By Registration

पंजीकरण द्वारा →

भारतीय नागरिकता
Indian citizenship

⇒ Indian originate
भारतीय
मूल

यदि उसके जन्म के समय उसके माता या पिता में से कोई भी भारत का नागरिक हो। माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्में व्यक्ति को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा किया गया है।

if at the time of his birth either of his parents is a citizen of India. The provision of granting citizenship to a person born abroad on the basis of mother's citizenship has been made by the Citizenship Amendment Act 1992.

3. पंजीकरण से (By Registration)

निम्नलिखित व्यक्तियों में से कोई व्यक्ति पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता ग्रहण कर सकता है। यथा-

Any of the following persons can acquire Indian citizenship through registration. As-

पंजीकरण हेतु आवेदन करने की तिथि से 1 वर्ष लगातार भारत में रहा होगा।
निवास करने वाला व्यक्ति।

A person residing in India for 7 years prior to the date of application for registration.

ऐसे व्यक्ति जिनका जन्म भारत में हुआ हो किन्तु जो भारत से बाहर किसी अन्य देश में निवास कर रहा हो। / Persons who were born in India but are residing in any country outside India.

ऐसी विदेशी महिला जो किसी भारतीय से विवाह कर चुकी है या करने वाली है। / A foreign woman who has married or is about to marry an Indian.

भारतीय नागरिकों के अवयस्क (Minor) बच्चे। ✓

Minor children of Indian citizens.

4. देशीयकरण से (By Naturalisation)

कोई विदेशी व्यक्ति जो वयस्क है तथा अपने देश की नागरिकता का परित्याग करके, भारत सरकार को इसकी सूचना दे दिया हो और भारतीय नागरिकता के आवेदन पूर्व कम से कम एक वर्ष से लगातार भारत में रह रहा हो, /Any foreign national who is an adult and has renounced the citizenship of his country and has informed the Government of India about it and has been living in India continuously for at least one year before applying for Indian citizenship,

इसके साथ-साथ एक वर्ष से पूर्व भी कुल मिलाकर कम से कम ॥ वर्ष तक भारत में रह चुका हो एवं संविधान में उल्लिखित भाषाओं में से किसी एक भाषा का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया हो तो वह भारत सरकार से देशीयकरण का प्रमाणपत्र प्राप्त कर भारत का नागरिक बन सकता है।

Along with this, he has also lived in India for a total of at least ॥ years before one year and has acquired good knowledge of any one of the languages mentioned in the Constitution, then he can become a citizen of India by obtaining a certificate of naturalization from the Government of India.

By Naturalisation
देशीयकरण द्वारा

⇒

(1) भारत में निवास
Residing in India ⇒ 11 years

(2) पहले जिस देश का नागरिक था, उस देश
को का परित्याग (छोड़ दी) कर दिया हो, तथा इसका
सूचना भारत सरकार (Indian Govt.) दे दी हो।


(3) 22 भाषाओं (Language) में किसी एक (any one) भाषा
का अच्छा ज्ञान (Good knowledge of any one language)
हो।

(4) कला (Art), विज्ञान (Science), समाज सेवा (social services)
के क्षेत्र से सम्बंधित हो।

5. भूमि के अर्जन द्वारा (By Acquisition of Land)

यदि भारत सरकार द्वारा किसी नये भू-भाग को अर्जित कर भारत में उसका विलय किया जाता है तो उस क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों को स्वतः भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाती है।

If any new territory is acquired by the Government of India and merged into India, then the people residing in that area automatically get Indian citizenship.



नागरिकता का अन्त (The Abolition of citizenship)

किसी भारतीय नागरिक की नागरिकता का अन्त निम्न तीन प्रकार से हो सकता है-

/The citizenship of an Indian citizen may end in the following three ways-

(i) किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर

On acquiring the citizenship of another country

(ii) नागरिकता का परित्याग करने पर, या

On renouncing the citizenship, or

(iii) सरकार द्वारा नागरिकता से वंचित करने पर

On being deprived of citizenship by the government

भारत सरकार निम्न में से किसी भी आधार पर किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित कर सकती है-

The Government of India may deprive a person of Indian citizenship on any of the following grounds-

(i) संविधान के प्रति अनिष्ठा दिखाने पर,

For showing disloyalty to the Constitution,

(ii) युद्धकाल में शत्रु की सहायता करने पर,

For aiding the enemy during war,

(iii) गलत तरीके से नागरिकता प्राप्त करने पर,

For acquiring citizenship by wrong means,

(iv) पंजीकरण या देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के

or acquiring citizenship by registration or naturalization

5 वर्ष के भीतर किसी अन्य देश द्वारा 2 वर्ष की सजा पाने पर।

On being sentenced to 2 years imprisonment by any other country within 5 years.

(v) किसी भारतीय स्त्री द्वारा विदेशी पुरुष से विवाह करनेपर, या

On an Indian woman marrying a foreign man, or

(vi) लगातार 7 वर्ष तक भारत से बाहर रहने पर।

On staying outside India for 7 continuous years.

अनु० 5, संविधान के प्रारम्भ पर नागरिकता (Citizenship at the Commence- ment of the Constitution) के बारे में है।

अनुच्छेद-6, पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार

Article 6, rights of citizenship of persons coming to India from Pakistan

अनुच्छेद-7, पाकिस्तान को प्रवजन करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार (Right of citizenship of certain mi- grants to Pakistan) के बारे में है।

Article 7 is about the Right of citizenship of certain mi- grants to Pakistan.

अनुच्छेद-8, भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार (Right of citizenship of certain persons of India Origin residing Outside India) के सम्बन्ध में है।)

Article 8 deals with the right of citizenship of certain persons of India Origin residing Outside India.

अनुच्छेद-9 के अनुसार जब कोई व्यक्ति स्वेच्छया किसी विदेशी राज्य का नागरिक हो जाता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है।*

According to Article 9, when a person voluntarily becomes a citizen of a foreign state, his Indian citizenship automatically ends.*

अनुच्छेद-10 के अनुसार किसी व्यक्ति की नागरिकता विधि के उपबंधों के अधीन सिर्फ संसदीय विधि द्वारा ही ली जा सकेगी किसी अन्य प्रकार से नहीं।

According to Article 10, the citizenship of a person can be taken only by a parliamentary law and under the provisions of the law and in no other way.